14/7/25 को पेश हो/

14/7/25 पत्रा. पेश हुई कु. उपरा मुताबिक दुर्ल रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
आज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 होरीलाल बनाम रामलाल वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 202/2021

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 (प्रदर्श--अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14/07/2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 15/7/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीसं कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. होरीलाल पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।

— वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र गुरजी जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
2. बच्चू पुत्र गुरजी जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
3. करतार पुत्र सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
4. उगन्ती पत्नी सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
5. कन्ना पुत्री सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
6. मीरा पुत्री सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
7. सोना पुत्री सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
9. सब रजिस्ट्रार नदबई।
10. पीएनबी शाखा हलैना जरिए शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

सहायक/कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
202 / 2021	29.11.2021	14.07.2025

उनवान

1. होरीलाल पुत्र हरेती जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।

– वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र गुरजी जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
2. बच्चू पुत्र गुरजी जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
3. करतार पुत्र सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
4. उगन्ती पत्नी सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
5. कन्ना पुत्री सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
6. मीरा पुत्री सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
7. सोना पुत्री सुगडसिंह जाति जाटव निवासी अरौदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
9. सब रजिस्ट्रार नदबई।
10. पीएनबी शाखा हलैना जरिए शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

दावा– 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 16:21:44 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 14.07.2025 .को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम

14/7/25

Scanned with OKEN Scanner

निपटारे के लिये पेश होने, पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :–

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 290 रकबा 0.18, 291 रकबा 0.36 किता 2 कुल रकबा 0.54 हैक्ट वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई तहसील नदबई में स्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी का रकबा है। प्रतिवादीगणों को तामील बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 01.04.2025 को की गई। वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मुताबिक कुर्रारिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

14/7/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner